www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 24.05.2017

बड़े पैमाने पर नकली भारतीय मुद्रा के नोटों को रखने पर चार आरोपियों को सात से दस वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) ने मोहम्मद हनीफ एवं मोहम्मद कासिम को 1.25 लाख रू. प्रत्येक पर जुर्माने सहित 10 वर्ष की कठोर कारावास ; सुश्री शालू को 1.25 लाख रू. जुर्माने सहित 07 वर्ष की कठोर कारावास ; तथा मोहम्मद टिक्का उर्फ अफजल को 50,000 रू. जुर्माने सहित 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 489-बी एवं 489-सी के तहत दिनांक 06.04.2014 को मामला दर्ज किया। जिला माल्दा (पश्चिम बंगाल) निवासी श्री टिक्का उर्फ अफजल के द्वारा पड़ोसी देश से बड़े पैमाने पर नकली भारतीय मुद्रा के नोटों की तस्करी और तस्करी की गयी नकली भारतीय मुद्रा के नोटों को रामपुर (उ.प्र.) के निवासी सुश्री शालू एवं गॉव मसवासी, जिला रामपुर (ड.प्र.) के निवासी मोहम्मद कासिम के माध्यम से गॉव रानी नगल, भोजपुर जिला मुरादाबाद (उ.प्र.) के निवासी मोहम्मद हनीफ को भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुयी। तलाशी की गई जिसमें सुश्री शालू एवं मोहम्मद कासिम को लखनऊ से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के मध्य चलती ट्रेन (ट्रेन सं-14003,न्यू फरक्का–न्यू दिल्ली एक्सप्रेस) में रोकने के दौरान उनके पास से मिले 3,00,000 रू. मूल्य वर्ग की नकली भारतीय मुद्रा के नोटों को जब्त किया गया।

जॉंच के दौरान, मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया गया व 1,03,000 रू. मूल्य वर्ग की नकली भारतीय मुद्रा के नोटों को उसके पास से बरामद किया गया। उक्त नकली भारतीय मुद्रा के नोटों को आपूर्तिकर्ता श्री टिक्का उर्फ अफजल को भी गिरफ्तार किया गया। ऐसा आगे ज्ञात हुआ कि मोहम्मद हनीफ, प्रमुख संचालन कर्ता था, जो कि नकली भारतीय मुद्रा के नोटों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रखने एवं खपत करने से सम्बन्धित गतिविधियों को अन्य आरोपी व्यक्तियों के माध्यम से संचालित करता था। जॉंच के पूर्ण होने के पश्चात, सीबीआई मामलों के विशेष दण्डाधिकारी, गा़जियाबाद की अदालत में आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 489-बी एवं 489-सी के तहत दिनांक 04.07.2014 को आरोप पत्र दायर किया गया।

विचारण अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।